प्र0कं0 700018/2016 वैवाहिक

न्यायालयः अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 700018 / 2016 वैवाहिक

-----अनावेदिका

तहसील जिला झांसी

आवेदक द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता अनावेदिका एक पक्षीय

/ / नि र्ण य / / / / आज दिनांक 19—11—16 को पारित किया गया / /

01 इस आदेश द्वारा आवेदक / याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना वाबत् अन्तर्गत धारा 281 मुस्लिम विधि का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका / गैर्याचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक / याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका निकाह अनावेदिका के साथ मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार दिनांक 22–2–13 को झांसी उ०प्र० में बिना दान दहेज के सम्पन्न हुआ था जो कि काजी शहीद खान निवासी मेहगांव के समक्ष सम्पन्न हुआ था । निकाह में नगद में कोई धनराशि नहीं दी गयी थी । निकाह के बाद अनावेदिका आवेदक के घर आई तो 2 माह तक रूकी किन्तु अनावेदिका का चाल चलन आवेदक एवं परिवारवालों के प्रति अच्छा नहीं रहा तथा अनावेदिका आये दिन बात बात पर मायके जाने की धमकी देती थी । अनावेदिका अपने मायके पक्ष वालों कहने में रहती है और जो कि अनावेदिका एवं उसके मायके पक्ष वाले चाहते हैं कि आवेदक अनावेदिका के मायके में रहे । इसी बात पर अनावेदिका उससे झगडा करने लगी और अपने मायके से पिता, भाई, चाचा एवं रिश्तेदारों को बुलाकर मायके चली जाती एवं आवेदक व उसके परिवार वालों के रोकने पर झगडा करने पर आमादा हो जाती थी इसी कारण आवेदक अनावेदिका को साथ लेकर शादी के 6 माह बाद ही अलग अपने पिता से किराये का कमरा लेकर रहने लगा लेकिन अनावेदिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और अनावेदिका अपने मायके रहने की जिद पर अडी रही । इसके बाद आवेदक फिर एक साल बाद अनावेदिका को लेकर गोहद आ गया और अलग किराये का कमरा लेकर रहने लगा । दिनांक 6-5-2015 को आवेदक अनावेदिका को साथ लेकर सारा जेवर एवं 20000 / – रूपया नगद लेकर शादी में महोवा गया था और दिनांक 7-5-16 को ग्राम उजयान रूका तब दिनांक 8-5-2016 को आवेदक के साथ अनावेदिका एवं उसके माता पिता भाई एवं चाचा ने झगडा किया और अनावेदिका को बीमार बताकर उसे वहीं रोक लिया और साथ नहीं आने दिया । अनावेदिका एवं उसके परिवार वालों ने आवेदक को अनावेदिका के साथ ग्राम उजयान में ही रहने के उपर झगडा किया आवेदक ने मना कर दिया तो अनावेदिका एवं उसके परिवारवालों ने आवेदक की मारपीट की तथा घर से निकाल दिया । अनावेदिका ने आवेदक के साथ रहने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया । अनावेदिका अपने पत्नी धर्म के कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रही है तथा दाम्पत्य सुख से भी बंचित किये हुये है जिससे आवेदक को मानसिक क्लेस पहुंचा है । आवेदक का स्थायी निवास करवा गोहद में है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतगर्त होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा जारी रिजस्टर्ड समंस के तामीली भेजी गयी जो कि उसके द्वारा लेने से इन्कार करने की टीप के साथ वापिस प्राप्त हुआ है | इस कारण दिनांक 19–10–16 को अनावेदिका के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

-::सकारण निष्कर्ष::-

याचिकाकर्ता / आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में आवेदक 05. हफीज मोहम्मद साक्षी कं01 का तथा साक्षी अजीज खां आ.सा. 2 के शपथपत्र पेश किए है। आवेदक हफीज मोहम्मद के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र. के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसका निकाह अनावेदिका के साथ मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार दिनांक 22-2-13 को झांसी उ०प्र० में बिना दान दहेज के सम्पन्न हुआ था जो कि काजी शहीद खान निवासी मेहगांव के समक्ष सम्पन्न हुआ था । निकाह में नगद में कोई धनराशि नहीं दी गयी थी । निकाह के बाद अनावेदिका आवेदक के घर आई तो 2 माह तक रूकी किन्तु अनावेदिका का चाल चलन आवेदक एवं परिवारवालों के प्रति अच्छा नहीं रहा तथा अनावेदिका आये दिन बात बात पर मायके जाने की धमकी देती थी । अनावेदिका अपने मायके पक्ष वालों कहने में रहती है और जो कि अनावेदिका एवं उसके मायके पक्ष वाले चाहते हैं कि आवेदक अनावेदिका के मायके में रहे । इसी बात पर अनावेदिका उससे झगडा करने लगी और अपने मायके से पिता, भाई, चाचा एवं रिश्तेदारों को बुलाकर मायके चली जाती एवं आवेदक व उसके परिवार वालों के रोकने पर झगडा करने पर आमादा हो जाती थी इसी कारण आवेदक अनावेदिका को साथ लेकर शादी के 6 माह बाद ही अलग अपने पिता से किराये का कमरा लेकर रहने लगा लेकिन अनावेदिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और अनावेदिका अपने मायके रहने की जिद पर अडी रही । इसके बाद आवेदक फिर एक साल बाद अनावेदिका को लेकर गोहद आ गया और अलग किराये का कमरा लेकर रहने लगा । दिनांक 6-5-2015 को आवेदक अनावेदिका को साथ लेकर सारा जेवर एवं 20000 / – रूपया नगद लेकर शादी में महोवा गया था और दिनांक 7–5–16 को ग्राम उजयान रूका तब दिनांक 8-5-2016 को आवेदक के साथ अनावेदिका एवं उसके माता पिता भाई एवं चाचा ने झगडा किया और अनावेदिका को बीमार बताकर उसे वहीं रोक लिया और साथ नहीं आने दिया । अनावेदिका एवं उसके परिवार वालों ने आवेदक को अनावेदिका के साथ ग्राम उजयान में ही रहने के उपर झगडा किया आवेदक ने मना कर दिया तो अनावेदिका एवं उसके परिवारवालों ने आवेदक की मारपीट की तथा घर से निकाल दिया । अनावेदिका ने आवेदक के साथ रहने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया । अनावेदिका अपने पत्नी धर्म के कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रही है तथा दाम्पत्य सुख से भी बंचित किये हुये है जिससे आवेदक को मानसिक क्लेस पहुंचा है । आवेदक के द्वारा निकाह नामा प्र0पी01 एवं निकाह का कार्ड प्र0पी0 2 पेश किया है ।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ

06.

4 प्र0कं0 700018/2016 वैवाहिक

है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के आधार पर उपरोक्त शपथपत्र में किया गया कथन अखण्डनीय रहे है। उक्त शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

07. आवेदक हफीज मोहम्मद के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी अजीज खां आ.सा. 2 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे है।

08. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें आवेदक हफीज मोहम्मद का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी अजीज खां आ. सा. 2 के कथनों से भी होती है, यह प्रमाणित होता है कि आवेदक का निकाह अनावेदिका के साथ दिनांक 22—2—13 को सम्पन्न हुआ था तथा यह भी प्रमाणित होता है कि अनावेदिका को आवेदक को छोड़कर अपने मायक में रह रही है | उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

1—अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहिता पत्नी है, वह स्वयं आवेदक के साथ रहकर पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2—प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेगें।

3—अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची मुताविक जो भी कम हो देय होगा। तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थूपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड (डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड